बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
—:: अधिसूचना ::—

सं० सं०—17/विविध 01—157/2025 पटना, दिनांक :— / /2026

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के निम्नांकित चिकित्सक शिक्षकों को अगले आदेश तक के लिए स्तम्भ—04 में अंकित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता हैः—

क्र० सं०	नाम/पदनाम	विभाग/वर्तमान पदस्थापन संस्थान का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1	डा० सुधा भारती, प्राध्यापक	स्त्री रोग एवं प्रसव विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	प्राचार्य, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया।
2	डा० अनिल कुमार, प्राध्यापक	शिशु रोग विभाग, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया	अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बेतिया

2. अधिसूचित प्राचार्य/अधीक्षक को वित्त विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या—9262/वि0, दिनांक—01.10.2011 के द्वारा अधिसूचित बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम—84 के अंतर्गत संबंधित संस्थान के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है।
3. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर पूर्व से कार्यरत चिकित्सक शिक्षकों को निदेशित किया जाता है कि वे संबंधित को प्रभार सौंपना सुनिश्चित करेंगे।
4. प्राचार्य/अधीक्षक के पद पर अधिसूचित चिकित्सक शिक्षक संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के प्रभार में नहीं रहेंगे।
5. एतद् संबंधी पूर्व में निर्गत अधिसूचना/आदेश यदि कोई हो तो, इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।
6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/—
(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सं० सं०— 17/विविध 01—157/2025 – 275(17) पटना, दिनांक :—28/02/2026

प्रतिलिपि :— महालेखाकार (ले० एवं ह०), बीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— प्रमण्डलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित प्राचार्य/अधीक्षक, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन, बेतिया, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— संबंधित चिकित्सक शिक्षकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव (प्रभारी प्रशाखा—17) के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01, 02, 03, 07, 08, 09, एवं 18A स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— आई०टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Renu Kumar 28/02/2026
विशेष कार्य पदाधिकारी।

D/R/Adhisuchna